भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 509

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 फरवरी, 2016 को दिया गया)

सीसीआई द्वारा अपनाए गए संस्थागत दिशानिर्देश

509. श्री ई. अहमद :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतियोगिता आयोग (सीसीआई) द्वारा प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 की धारा 27 के अंतर्गत लगायी गई शास्ति के प्रतिशत की कटौती करते समय कोई संस्थागत दिशानिर्देश अपनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उक्त अधिनियम के अंतर्गत शास्तियों के प्रतिशत की कटौती हेतु सीसीआई कोई संस्थागत दिशानिर्देश अपनाएगी;

(ग) क्या कंपनियों पर शास्तियों का अधिरोपण उन्हें कारोबार से बाहर कर देगा/अथवा उनका संपूर्ण कारोबार बंद हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख) : प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधीन अधिदेश के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उपयुक्त मामलों में शास्तियां लगा सकता है और/या समाप्ति और प्रविरत आदेश जारी कर सकता है। तथापि आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 27 के अधीन शास्तियां लगाते समय ऐसी शास्तियों की उचित और विवेकपूर्ण मात्रा का निर्णय करने से पहले बढ़ाने या कम करने के तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। शास्तियां प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को दूर करने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और इसे सुस्थिर बनाने तथा मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए लगाई जाती हैं।

*****